

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक

कार्यालय-आदेश

श्री कैलाश चन्द्र सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) श्रीमाधौपुर में कार्यरत हैं को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.05.2020 से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कैलाश चन्द्र के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील)नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

उक्त आदेश आयुक्त महोदय से अनुमोदित है ।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक,कृषि(प्रशासन)

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ.कृ./गुप-9/ 10961-67

दिनांक:- 17/0/2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (वि) सीकर ।
3. उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद,सीकर ।
4. सहायक निदेशक कृषि (वि)श्रीमाधौपुर ।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. श्री कैलाश चन्द्र सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) श्रीमाधौपुर ।
7. निजी पंजिका ।

(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)